16/5/16

आज यह पत्रा. कैम्प कोर्ट कान्हड़का में पेश हुई प्रार्थी वादी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत किया कि वादी अपने वाद पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता। अपने मुकदमें को वापिस लेना चाहता है प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

राजेश कुमार
पटवारी

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	प्रा0पत्र निर्णय दिनांक
41/2015	01/04/2015	28.10.2015

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र लेखराम जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:— वादी

बनाम

1. जसवन्तसिंह पुत्र लेखराम जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0.
2. रणवीर पुत्र लेखराम जाति अहीर निवासी नरवास तह0 कोटकासिम
3. संतोषदेवी पत्नी जसवन्तसिंह जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
4. भतेरीदेवी पत्नी फतेहसिंह
5. बबलीदेवी पत्नी मुकेशकुमार जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
6. सन्दीप पुत्र रामकला जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
7. दयानन्द उर्फ दयाराम
8. घुटिया पुत्रान बुधराम जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
9. भूपसिंह पुत्र बुध्या जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
10. रामकंवार पिसरान गुसम्मा सूरजा
11. सरवती पत्नी मातादीन
12. सुबेसिंह
13. रामफल पुत्रान मातादीन
14. सरदारसिंह पुत्र शीशराम
15. रणधीर पुत्र सुलतान

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

16. जलकौर पत्नी भरतसिंह
17. धनपति पत्नी रामवतार
18. सुखदेव पुत्र मंगतू
19. हीरालाल पुत्र होशियार
20. कंवरसिंह
21. कृष्ण
22. जयसिंह पुत्रान कालू
23. सन्तोषदेवी पत्नी कालू
24. रतनलाल
25. हरद्वारी
26. लालसिंह
27. छोटेलाल
28. रामहेर पुत्रान ताराचन्द
29. शान्तिदेवी बेवा ताराचन्द
30. रघुवीर पुत्र कन्हैया
31. रामपत
32. लखमीचन्द पुत्रान जीवाराम
33. थावरसिंह
34. महेन्द्रसिंह पुत्रान रामशरण जाति अहीर निवासी नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
35. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0 .

:— प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी
जेर दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकरी
अधिनियम 1955। प्रार्थनापत्र अंतर्गत
आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151
जाप्ता दीवानी

उपस्थित :—
1. श्री मनोज यादव अधि0 प्रार्थीनी
2. श्री समयसिंह यादव अधि0अप्रार्थी / वादी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

प्रार्थिनी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 614/0.34, 623/0.19 किता 2/0.53 हैक्टेयर वाके ग्राम नरवास तहसील कोटकासिम में प्रतिवादिया सं0 3 संतोषदेवी से उसका 1/4 भाग मिन प्रार्थिया ने संतोषदेवी को समस्त प्रतिफल की राशि अदाकर जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 05.06.2015 को खरीद किया हुआ है और खरीद वक्त से ही मिन प्रार्थिया अपने वक्त खरीदशुदा भाग पर काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही हूँ। इस तरह मिन प्रार्थिया अपने उक्त खरीदशुदा भाग की बोना फाईड परचेजर सद्भावी क्रेता हूँ। मौके पर मिन प्रार्थिया का वास्तविक कब्जा काश्त है। मिन प्रार्थिया के उक्त अनुवानी वाद में हक हकूक निहित है व तय होने हैं। इसलिए मिन प्रार्थिया को उक्त उनवानी वादपत्र में प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक वो न्यायसंगत है। प्रार्थनापत्र के साथ बयनामा दिनांक 05.06.2015 की प्रति संलग्न की है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थिया की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया श्रीमती सरोजदेवी को उक्त अनुवानी वाद में प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर पैरवी करने की इजाजत बख्सी जावे।

प्रार्थनापत्र की प्रति वादी वकील को दी गई।

वादी वकील ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। वादी वकील ने जवाब में अंकित किया कि यह सही है कि विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 614, 623 वाके ग्राम नरवास में प्रतिवादिया सं0 3 संतोषदेवी से उसका 1/4 भाग प्रार्थिया ने जर्ये बयनामा दिनांक 05.06.2015 को खरीद किया हुआ है। बाकी गलत है, अस्वीकार है। जब प्रार्थिशा सरोजदेवी ने संतोषदेवी का 1/4 हिस्सा खरीद किया उससे पहले ही उक्त विवादित आराजीयात बाबत अदालत श्रीमान के यहां से स्थगन आदेश जारी था जिसकी जानकारी सरोजदेवी व संतोषदेवी दोंनो को ही थी और बयनामा दिनांक 05.06.2015 में भी आदेश 39 का नोट अंकित किया हुआ है। मौके पर सरोजदेवी विवादित आराजीयात के किसी भी जुज पर काबिज काश्त नहीं है। वो गैरवास्ता व गैरकाबिज सख्स है। प्रार्थिया श्रीमती सरोजदेवी के उक्त अनुवानी वाद में कोई हक हकूक निहित नहीं है व ना ही तय होने है

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम

Scanned by CamScanner

और ना ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। इसलिए सरोजदेवी को प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि सरोजदेवी को उक्त अनुवानी वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जावे। उसका प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थिनी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात में ख0 नं0 614, 623 कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर का 1/4 भाग वाके ग्राम नरवास प्रार्थिया ने जर्ये बयनामा प्रतिवादी सं0 3 से खरीद किया है। जिस पर वह वक्त खरीद से काबिज काश्त हैं। प्रार्थिया बोना फाईड क्रेता है। कब्जा काश्त है। प्रार्थिया वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थिया को तकासमा के वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त RRD 1996 Page 369, RRDMarch 2003 Page 88 पेश किये।

अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित किये गये बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विचाराधीन वाद तकासमा का है। जिसमें प्रतिवादीदिनांक 01.04.2015 को जारी निषेधाज्ञा से पाबंद है। विवादित आराजी पर स्थगन आदेश होने पर भी प्रार्थिया द्वारा विवादित ख0 नं0 614, 623 को क्रय किया है। प्रार्थिया का कब्जा काश्त नहीं है। रिकॉर्ड में नाम नहीं हैं बयनामा पर धारा 39 रजिस्ट्रेशन नियम का नोट लगा है। प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त RRT 2010(2) Page 934 पेश किये।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने जर्ये पंजीकृत बयनामा प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि का क्रय किया है। जिसमें विक्रेता द्वारा क्रेता को कब्जा देने का भलि–भाँति अंकन किया गया है। विचाराधीन वाद तकासमा का है। तकासमा होने से प्रार्थिया को उनके द्वारा प्रतिवादी सं0 3 सन्तोष से प्राप्त आराजी का हिस्सा /आराजी ही प्राप्त होगी। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाव में प्रार्थिया

उप खण्ड अधिकारी

ा कब्जा नहीं होने का जिक्र किया है। लेकिन प्रतिवादी सं0 3 जिसमें ार्थिया ने भूमि क्रय किया उसका कब्जा नहीं होना व प्रतिवादी सं0 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने का कही भी जिक्र नहीं किया । ना ही अपनी बहस में उक्त विषय में कोई चर्चा की गई। वादी ने जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। उसमें अन रजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर बनाये गये पक्षकारान के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना जाकर निर्णय अपास्त किया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर प्रार्थिया ने पक्षकार प्रतिवादी बनाये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी/वादी के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त को इस प्रकरण में लागू नहीं माना जा सकता है। मेरे सुविचार मत से प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उसे प्रतिवादी की जद में पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। संशोधित टाईटल पेश किया जावे। प्रार्थनापत्र निर्णय शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूलवाद पत्रावली किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner